सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 405 राँची, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-27/2021 का.--31942 (HRMS)--श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-768, दिनांक 14.08.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री महतो के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) परिवादनी श्रीमती प्रभावती देवी पति श्री कविन्द्र कुमार पासवान को इंदिरा आवास नव निर्माण योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) में कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में इंदिरा आवास नव निर्माण योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) में लाभुकों को किये गये भुगतान में अनियमितता बरती गयी है। योजना पंजी में परिवादनी श्रीमती प्रभा देवी के अतिरिक्त अन्य लाभुकों गामा राम, पिता चटुर राम, मनु भुईयां पिता नारायण भुईयां, कुलदीप पासवान पिता कवउल पासवान एवं अन्य को भी इन्दिरा आवास के लाभुक के रूप में राशि का भुगतान दिखाया गया है, परन्तु वह राशि उन लाभुकों के द्वारा प्राप्त किया गया है या नहीं इसकी प्रमाणिकता इस पंजी से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि लाभुको को उक्त राशि प्राप्त हुई है या नहीं इसका प्रमाण नहीं है ।

(ii) परिवादनी श्रीमती प्रभावती देवी पति श्री कविन्द्र कुमार पासवान के अतिरिक्त लाभुक गामा राम पिता चटुर राम, मनु भुईयां पिता नारायण भुईयां, कुलदीप पासवान पिता कवउल पासवान को इंदिरा आवास नव निर्माण योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) से संबंधित पंजी में अंकित भुगतान विवरणी फर्जी है तथा इंदिरा आवास नव निर्माण योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) मद में सरकार से प्राप्त राशि का गबन कर बंदरबांट कर लिया गया है ।

(iii) योजना पंजी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि इंदिरा आवास नव निर्माण योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) से संबंधित पंजी में अंकित भुगतान विवरणी फर्जी है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6188, दिनांक 30.09.2021 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री महतो के पत्रांक-1361, दिनांक 23.11.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री महतो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-125, दिनांक 10.01.2022 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-90, दिनांक 13.02.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमे इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया ।

3. श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7080(HRMS), दिनांक 06.07.2022 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-20, दिनांक 01.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य में श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप सं0-1 से 3 तक तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2968, दिनांक 23.05.2023 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, पलामू से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की माँग की गयी है-

(i) अगर प्रभा देवी को वास्तव में भुगतान हुआ है तो भ्रामक प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है?

(ii) क्या प्रभा देवी ने भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि की है?

5. उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-176, दिनांक 25.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभा देवी पति कविन्द्र पासवान, ग्राम पंचायत-कजरुकला, पो० कजरुखुर्द, थाना पाण्डू को इंदिरा आवास योजना (नक्सल प्रभावित) अंतर्गत संधारित खाता संख्या-30954926034, भारतीय स्टेट बैंक, विश्रामपुर, पलामू चेक सं०-859172, दिनांक 07.04.2010 द्वारा 17500/- रूपये का भुगतान किया गया है। परन्तु प्रभा देवी पति कविन्द्र पासवान, ग्राम पंचायत-कजरुकला, पो० कजरुखुर्द, थाना पाण्डू से पूछताछ के क्रम में आवास योजना के तहत् राशि प्राप्त होने से इंकार कर रही थी ।

6. श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है तथा उपायुक्त, पलामू द्वारा भी अंकित है कि लाभुक प्रभा देवी को उनके बैंक खाता में राशि का भुगतान किया गया है एवं उससे संबंधित बैंक से प्राप्त साक्ष्य भी संलग्न की गई है।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	MAHESWAR MAHATO 20080400099	श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 405 - 50